कृपया प्रकाशनार्थ **13 अक्टूबर 2011**

मनसे के शिरीष पारकर ने न्यायालय में
राम नाईक की माँफी माँगी

मुंबई,गुरुवार :भाजपा नेता श्री. राम नाईक को 'मराठी से नफरत करनेवाला' कह कर उनकी बदनामी करने के कारण मनसे के महामंत्री श्री. शिरीष पारकर ने आज न्यायालय में माँफी माँगी. यह याचिका महानगर दंडाधिकारी न्यायालय क्र. 17 की न्यायाधिश श्रीमती सुरेखा अभय सिन्हा के सामने प्रस्तुत हुअी थी. एड. जयप्रकाश मिश्रा ने श्री. राम नाईक की ओर से पेशी की.

विगत विधानसभा चुनाव में 1 अक्टूबर 2009 को 'आयबीएन लोकमत' पर श्री. निखील वागले का 'आजचा सवाल' कार्यक्रम हुआ था. उसमें श्री. पारकर ने भाजपा नेता श्री. राम नाईक पर घिनौने व्यक्तिगत आरोप किए. ''श्री. राम नाईक मराठी से नफरत करते हैं, तथा श्री. राम नाईक को हर तीन महिना नया खून देना पडता है'', ऐसे झूठे - बेबुनियाद विधान श्री. पारकर ने किए थे. उसके कारण मेरी बदनामी हुई है, ऐसे कहते हुए श्री. राम नाईक ने उन्हे चेतावनी दी थी कि सार्वजनिक माँफी माँगो या मुकदमे के लिए तैयार हो जाओ. श्री. पारकर ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया जिसके कारण श्री. राम नाईक ने बदनामी के विरोध में याचिका दर्ज की थी.

पुरे साल में इस याचिका की दस बार सुनवाई हुई. किंतु आज का दिन छोड कर किसी भी सुनवाई में श्री. पारकर न्यायालय में पेश नही हुए. अंततः 15 सितंबर की सुनवाई में अगले समय श्री. पारकर को निश्चित तौर पर पेश करेंगे ऐसा आश्वासन उनके वकील एड. शिवाजी चौगुले ने दिया था.

आज की सुनवाई के अंत में श्री. शिरीष पारकर ने श्री. राम नाईक को 'मराठी का नफरत करनेवाला' कहा था इसलिए माँफी माँगी. साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठा वक्तव्य देने के लिए भी माँफी माँगी. अपना माफीनामा उन्होने लिखित रुप से न्यायालय में पेश किया. तदुपरांत श्री. राम नाईक ने मुकदमा समाप्त करने को सहमती दी.

इस माफीनामा के संदर्भ में टीपणी करते हुए श्री. राम नाईक ने कहा,''भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद् गीता में कहा है कि 'सज्जन व्यक्ति को अपकीर्ति यह मृत्यू से भी अधिक वेदना देती है.' इस भूमिका में ही मैंने मुकदमा दर्ज किया था. श्री. पारकर ने न्यायालय में क्षमा याचना करने के कारण मैंने यह मुकदमा वापस लेने के लिए सहमती जतायी.''

(कार्यालय मंत्री)